पत्रांक :– 01 / स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)–18–04 / 2019 –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

गाजेश्वर महतो,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची।

रॉची, दिनांक :–

विषयः–ACP/MACP की स्वीकृति हेतु Undertaking / शपथ पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) का पत्रांक–1365 दिनांक 07.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य कर्मियों को ACP/MACP की स्वीकृति के समय संबंधित कर्मी से इस आशय का एक Undertaking / शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय कि भविष्य में प्रदत्त ACP/MACP में कोई त्रुटि पाए जाने पर आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सकेगी। साथ ही ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से किये जाने के उपरांत ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संबंधित अभियंताओं से ACP/MACP की स्वीकृति हेतु योजना–सह–वित्त (वित्त प्रभाग) के प्रासंगिक पत्र के आलोक में Undertaking / शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय। ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से कराने के उपरांत ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाय।

अनु॰–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह॰ / –
(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 113 रॉची, दिनांक :– 06/01/2020

प्रतिलिपिः–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रॉची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

03/01/2020

(गाजेश्वर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

G:\PRAMOD-2020\UNDER SEC.-I\DRAFT\All Chief Eng. ACP- MACP.doc

पत्रांक : वि०प्र०–6ए–21/2012.......1365/वि०

झारखंड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त विभाग)

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची/दिनांक 07.04.17

विषय : **ACP/MACP की स्वीकृति के समय संबंधित कर्मी से Undertaking प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यकर्मियों के ACP/MACP की स्वीकृति हेतु योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के द्वारा विभिन्न संकल्प/परिपत्र निर्गत है, जिसमें ACP/MACP की स्वीकृति हेतु प्रावधान निहित है, परन्तु यह देखा जा रहा है कि कतिपय मामलों में ACP/MACP की स्वीकृति के क्रम में विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों का सम्यक अनुपालन न होने के कारण संबंधित कर्मी को त्रुटिपूर्ण ACP/MACP का लाभ स्वीकृत हो रहा है। ACP/MACP के सत्यापन/सम्पुष्टि के क्रम में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)/जिला लेखा पदाधिकारी के द्वारा त्रुटिपूर्ण ACP/MACP पर आपत्ति करने एवं त्रुटि के संज्ञान में लाने के उपरांत प्रशासी विभाग के द्वारा संबंधित कर्मी को स्वीकृत ACP/MACP के रद्द करने एवं अधिक भुगतान की वसूली के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई वाद दायर किए गए हैं।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि राज्य कर्मियों को ACP/MACP की स्वीकृति विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करते हुए संबंधित कर्मी से ACP/MACP की स्वीकृति के समय इस आशय का एक Undertaking/ शपथपत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय कि भविष्य में प्रदत्त ACP/MACP में कोई त्रुटि पाए जाने पर आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जा सकेगी। साथ ही ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से किए जाने के उपरांत ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त का अनुपालन दृढ़ता के साथ किया जाए।

विश्वासभाजन,

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।